

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //


भोपाल दिनांक 26/11/2019

क्रमांक /3771/4207/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 26/11/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न करने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के अनुक्रम में कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जाती है:-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
1.	डॉ.नफीसुर्रहमान, यूनानी चिकित्सा अधिकारी शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल (सेवानिवृत्त 30.06.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
2	डॉ.नफीस फातिमा, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.05.2008)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
3	डॉ.अनवर अहमद कुरैशी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला सीहोर (निधन 29.09.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
4	डॉ.रिजवान सलीम अंसारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 330.04.2022)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
5	डॉ. जी.के. शाक्य, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला रायसेन (सेवानिवृत्त 31.05.2014)	(द्वितीय नवीन) 13.08.2013 (15600-39100+7600)
6	डॉ. फिरदौसुन्निसा कौसर, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 30.06.2029)	द्वितीय नवीन) 27.06.2014 (15600-39100+7600)
7	डॉ. राजेश कुमार मिश्रा, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 30.04.2021)	(द्वितीय नवीन) 21.02.2011 (15600-39100+7600)

निरन्तर--2//


2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पात्रता दिनांक से उनके सेवानिवृत्त दिनांक तक प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान देने पर समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त सभी आयुष चिकित्सा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समय मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर समिति द्वारा प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये है। पूर्व में स्वीकृत द्वितीय समयमान वेतनमान की नियमानुसार वसूली की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार  
  
(कलावती उईके) 26-11-19  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 26 / 11 / 2019

पृष्ठांकन क्रमांक /3774/4207 / 2019 / 1 / 59  
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 2- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,..... । इस आदेश के परिप्रेय में समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंधित प्रकरणों में समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये संबंधित अधिकारियों को किये जा रहे अधिक भुगतान को तत्काल रोका जाकर अभी तक किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 5- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 6- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 7- संबंधित डॉ.....
  - 8- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव 26-11-19  
म. प्र. शासन, आयुष विभाग